न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारीः श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 27/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. श्री छेलसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह 2. श्री हनवन्तसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह 3. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह 4. श्री अर्जुनसिंह पुत्र मोतीसिंह 5. श्रीमती लीलाकंवर पत्नी भंवरसिंह 6. श्री भंवरसिंह पुत्र जयसिंह 7. श्री इन्द्रसिंह पुत्र बुद्धसिंह 8. श्री विजयसिंह पुत्र जब्बरसिंह 9. श्री मोहब्बतसिंह पुत्र बुद्धसिंह 10. श्री जब्बरसिंह पुत्र जयसिंह 11. श्री रामसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 12. श्री शैतानसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह 13. मोतीसिंह पुत्र जयसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण रामनगर, ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. हनुमानदास पुत्र भुरदास के का.मु. 1/1. अचलदास पुत्र हनुमानदास वैष्णव निवासी रामनगर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत एरनपुरा जरिये सरपंच तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव एवं श्री चैन सिंह सांखला

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 लक्ष्मण के. चौधरी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 28/5/19

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, एरनपुरा तहसील सुमेरपुर की मिसल संख्या 21/1986–87 प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 18.03.1988 की पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 89 दिनांक 14.04.1988 जो अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किया गया, को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत एरनपुरा का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता हनुमानदास के हक में अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जारी विक्रय विलेख संख्या 89, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 की न तो जैर आराजी भूमि है, न ही उनका कब्जा है, जैर प्रार्थना पत्र आराजी रास्ते की भूमि है तथा उक्त भूमि का पूर्व में भी पट्टा संख्या 9 मिसल संख्या 4/1964 जारी हो रखा है। फिर भी जैर निगरानी पट्टा गांव की सम्पती का ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा बनाकर दिया गया, जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम

जिला कलेक्टर, पाली

पूर्व में इसी भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है तथा आगे रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर जो विक्रय विलेख प्राप्त किया है, वह खसरा नम्बर 70 गैर मुमकीन रास्ते की ग्राम रामनगर की भूमि का होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। इस संबंध में तहसील सुमेरपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पटवार हल्का बलवना द्वारा संवत 2068 में टी.पी. पेश करने पर अप्रार्थी को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस भी प्रेषित किया, जिसका जवाब भी अप्रार्थी अचलदास द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसके प्रकरण संख्या 1060/2011 की प्रतिलिपियों की प्रतियां भी पत्रावली संलग्न है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही पट्टा जारी करने का आदेश दे दिया था। पत्रावली बाद में कायम की गई तथा कार्यवाही बाद में की गई। जो फर्जी होने से पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा मुकर्रर पंचो द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया। नक्शा बनाया उस पर नक्शानवीस के हस्ताक्षर नहीं है। इसके जारी करने से रास्ता अवरूद्ध हुआ है। पडौसियों के बयान भी नहीं लिए गए है। पंचायत का कोरम पूरा नहीं था, इसलिए भी जैर निगरानी पट्टा विधी विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। पूर्व में जारी पट्टा भूमि क्षेत्रफल 4305 वर्गफिट को बढाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में रास्ते की भूमि को बढाते हुए 4305 वर्गफिट का दूसरा पट्टा संख्या 89 जारी किया जाने से पट्टा भूमि का पुनः पट्टा जारी करने से पट्टा निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी आराजी रास्ते की भूमि नहीं है, जो तहसील से जरिए पत्रांक राजस्व/2018/557 दिहनांक 04.05.2018 के प्राप्त रिपोर्ट एवं उसके संलग्न पटवार हल्का बलवना की रिपोर्ट से स्पष्ट है। जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 65 गैर मुमकीन आबादी भूमि के जारी किया गया है, न की खसरा नम्बर 70 गैर मुमकीन रास्ता की भूमि, इसलिए पट्टा आबादी भूमि में ही जारी होने से इसे निरस्त किया जाना विधी सम्मत नहीं है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जो कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत की गई हैं। वह इस आराजी से संबंधित नहीं है। पट्टा नं. 89 की आराजी एवं पट्टा संख्या 9 दिनांक 03.01.1963 की आराजी के पडौस एक ही होने से वहीं आराजी है। जिससे स्पष्ट है कि उसी आराजी का पट्टा है, जो पहले उसके स्व. पिता के नाम से था, जिस पर उसके पिता के समय से ही मकान बना हुआ है। लेकिन पट्टे में नाप–चौक सही नहीं था। इसलिए अप्रार्थी ने अपने पिता के मृत्युपरान्त सही नाप चौक करवाकर तथा एक मात्र वारिस होने के कारण अपने नाम का पट्टा जारी कराया है। अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी आराजी पर नया निर्माण नहीं कराया है, न ही किसी सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, जो पट्टा जारी किया गया, वह उसके पिता द्वारा निर्मित पुश्तैनी मकान का है। जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 65 गैर मुमकीन आबादी भूमि में जारी किया गया होने से उसे यथावत रखा जाने हेतु निवेदन किया है। जैर निगरानी आबादी भूमि का पट्टा जारी हुए 31 वर्ष हो जाने से तथा मकान उसके पिता के समय से बना होने के कारण इतनी अवधि व्यतीत होने के पश्चात निगरनी पेश करने का विधी सम्मत कारण नहीं है, प्रार्थीगण द्वारा जिस पट्टे के खारिज करने बाबत निगरानी संख्या 31/2012 छैलसिंह बनाम मानसिंह निर्णय दिनांक 21.02.2013 न्यायालय अति. जिला कलक्टर पाली की प्रति पेश की गई है। वह खसरा नम्बर 70 व 74 गै.मु. रास्ते की

जिला कलेक्टर, पाली

भूमी से संबंधित होने से निरस्त किया गया है, जो इस प्रकरण से मेल नहीं खाती है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पिता के नाम एक ही पडौस के दो विक्रय विलेख जारी हुए है। प्रथम पट्टा संख्या 9/1962 जो मिसल संख्या 4/1961 तथा संकल्प संख्या 42 दिनांक 10.12.1961 की पालना में जारी किया गया। द्वितीय पट्टा संख्या 89 दिनांक 14.04.1988 मिसल संख्या 21/1986–87 संकल्प संख्या 6 दिनांक 18.03.1988 की पालना में जारी किया गया। जिनके पट्टों में अंकित पडौस के अनुसार एक ही आराजी के पट्टे जारी होना स्पष्ट है। जिसमें पट्टा संख्या 9 में अंकित भूखण्ड के नाप को बढ़ाकर पट्टा संख 89 जारी किया गया। पंचायत नियमों के अनुसार किसी भी आराजी का एक बार पट्टा जारी होने के पश्चात दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है, जब तक की प्रथम पट्टे को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दिया गया हो। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टा भूमि का ही जारी किए जाने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कमांक राजस्व/2017/2272 दिनांक 27.12.2017 के द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 89 ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 70 किस्म गैर मुमकीन रास्ते में जारी होना बताया है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ही अपने पत्रांक राजस्व/2018/557 दिनांक 04.05.2018 के द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 89 को ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 65 किस्म गै.मु. आबादी में जारी होना बताया है। दोनों रिपोर्ट आपस में विरोधाभासी है। परन्तु तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी अचलदास के विरूद्ध कार्यवाही प्रकरण संख्या 1060/2011 दर्ज कर तीस वर्गमीटर गै.मु. रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 70 ग्राम रामनगर पटवारी हल्का बलवना की रिपोर्ट पेश करने पर की गई, जो पत्रावली संलग्न दस्तावेज से सिद्ध है एवं अप्रार्थी द्वारा स्वयं ने पुश्तैनी कब्जा सुदा व पट्टा सुदा भूमि पर कब्जा होना बताया है एवं जवाब में पट्टा नम्बर 89 का भी उल्लेख है। इस प्रकार अप्रार्थी का अपनी पुश्तैनी भूमि के अलावा खसरा नम्बर 70 किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होना सिद्ध है। जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, एरनपुरा तहसील सुमेरपुर की मिसल संख्या 21/1986–87 प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 18.03.1988 की पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 89 दिनांक 14.04.1988 जो अप्रार्थी श्री हनुमानदास पुत्र भुरदास जाति वैष्णव निवासी रामनगर के हक में जारी किया गया को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत एरनपुरा को रेकर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/5/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली